मध्यप्रदेश शासन,
कृषि विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक/डी/17/9/94/14-3 भोपाल,दिनांक 31 दिसम्बर,2001

प्रति,

संचालक कृषि,
मध्यप्रदेश,भोपाल

विषय:-कृषकों द्वारा खोदे गये नलकूपों पर अनुदान की योजना.

00000

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के आदेश क्रमांक/डी-17/2/85/14-3 दिनांक 9.4.92 द्वारा कृषि विभाग के अन्तर्गत अशासकीय एजेंसी/ठेकेदारों द्वारा खोदे गये नलकूप पर अनुदान की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देशों को निरस्त करते हुये निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

1 सिंचाई नलकूप खनन पर अनुदान योजना का कियान्वयन अब केवल कृषि विभाग द्वारा किया जावेगा । योजना के अन्तर्गत देय अनुदान केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को निम्न दरों पर देय होगा :-

(अ) नलकूप खनन,विकास तथा निर्माण के लिये । — लागत का 75 % अथवा रूपये 15,000/- में जो भी कम हो ।

(ब) सबमर्सिबल पंप एवं सहायक सामग्री के लिये । — कीमत का 75 % या रूपये 10,000/- में जो भी कम हो ।

2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्ग के उन्हीं कृषकों या उनके समूह को अनुदान देय होगा ,जिन्होंने पूर्व में नलकूप नहीं खोदा है ।

3 अनुदान की पात्रता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों या उनके समूह को होगी जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंकों से ऋण लिया हो या स्वयं के व्यय से नलकूप खनन किया हो । अनुदान नगद में न दिया जाकर कृषकों के बैंक खाते में ही जमा किया जावेगा ।

4 इस आदेश के तहत अनुदान का लाभ उन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को देय होगा जो प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर उप संचालक कृषि के यहां पंजीयन करवाकर योजना का लाभ लेना चाहेंगे । इसके लिये कृषकों को पंजीयन पत्र प्रदाय किया जावेगा ।

5 नलकूप का स्थल चयन,संभावित जल उपलब्धता एवं संभावित गहराई सम्बन्धी जांच हेतु नलकूप खनन के पूर्व 'रेजिस्टीविटी सर्वे' करना आवश्यक होगा । रेजिस्टीविटी सर्वे जल संसाधन विभाग से या जल संसाधन विभाग में पंजीकृत निजी संस्थाओं से कृषक द्वारा स्वयं कराया जावेगा । रेजिस्टीविटी सर्वे की रिपोर्ट सम्बन्धित उप संचालक कृषि के पास जमा कराई जावेगी । रेजिस्टीविटी सर्वे में यदि यह पाया जाता है कि स्थल पर जल की उपलब्धता नहीं है तो सम्बन्धित कृषक का पंजीयन उप संचालक कृषि द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा ।

6 नलकूप की सफलता एवं नलकूप में जल उपलब्धता की मात्रा,उसकी गोलाई एवं गहराई का पंचनामा एक समिति द्वारा किया जावेगा जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

(अ) अनुविभागीय अधिकारी कृषि या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
(ब) सहायक कृषि यंत्री या उनके द्वारा मनोनीत यांत्रिक सहायक अथवा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के शाखा प्रबंधक
(स) कृषक हितग्राही
(द) ग्राम पंचायत का सरपंच

समिति के सदस्यों की उपस्थिति में स्थल पर जांच पश्चात पंचनामा बनाया जावेगा । समिति के सदस्यों को स्थल पर ले जाना एवं उनकी उपस्थिति में यील्ड टेस्टिंग कराने का उत्तरदायित्व अनुविभागीय अधिकारी कृषि का होगा । (पंचनामा का प्रारूप संलग्न है)

7 नलकूप की जल क्षमता का परीक्षण (यील्ड टेस्टिंग) कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय / म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पास उपलब्ध मशीनों से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर हितग्राहियों से अग्रिम प्राप्त कर किया जावेगा । यील्ड टेस्टिंग अग्रिम जमा होने के एक माह के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा ।

8 यील्ड टेस्टिंग का कार्य 340 सी.एफ.एम. की क्षमता की मशीन से 4 घंटा एवं इससे कम क्षमता की मशीन से 6 घंटा तक किया जावेगा । यील्ड टेस्टिंग में स्टेटिक वाटर लेवल,ड्रा डाऊन एवं एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी आवश्यक रूप से देखी जावेगी । यील्ड टेस्टिंग के प्रमाण-पत्र पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त कर संबंधित संस्था जिसके द्वारा यील्ड टेस्टिंग हेतु मशीन भेजी गयी है,के द्वारा उप संचालक कृषि को भेजे जावेंगे एवं इसकी प्रति कार्यालय में संधारित होगी ।

9 एक नलकूप से दूसरे नलकूप के बीच की न्यूनतम दूरी एल्युवियम क्षेत्र में 450 मीटर एवं चट्टानी क्षेत्र में 300 मीटर रहेगी ।

10 नलकूप की न्यूनतम गहराई एल्युवियम क्षेत्र में 45 मीटर एवं चट्टानी क्षेत्र में 60 मीटर होगी ।

11 एल्युवियम क्षेत्र में 4000 गैलन प्रतिघंटा एवं चट्टानी क्षेत्र में 2000 गैलन प्रतिघंटा न्यूनतम डिस्चार्ज होने पर नलकूप सफल माना जावेगा ।

12 असफल नलकूप के लिये यील्ड टेस्टिंग आवश्यक नहीं होगा । विभाग के द्वारा नलकूप खनन की अनुमति दिये जाने के-पश्चात कृषक द्वारा नलकूप खनन करने पर यदि यह पाया जाता है कि निर्धारित मापदण्ड अनुसार नलकूप में जल उपलब्ध नहीं है,तो कृषक घोषणा-पत्र भरकर असफल नलकूप घोषित करने के लिये आवेदन कर सकता है . जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

I. कृषक के द्वारा नलकूप खनन कर लेने के पश्चात असफल घोषित करने के लिये आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी कृषि को संबंधित विकास खण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा ,जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि बोर में पर्याप्त पानी नहीं है एवं कृषक इसे असफल मान्य करता है ।

II. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 7 दिनों के भीतर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथ्यों का परीक्षण कर आवेदन -पत्र अनुविभागीय अधिकारी कृषि को प्रस्तुत करेंगे ।

III. अनुविभागीय अधिकारी कृषि,यील्ड टेस्टिंग के लिये गठित समिति के सदस्यों के साथ आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर कृषक को पूर्व सूचना देकर स्थल का निरीक्षण करेंगे । समिति के सदस्य निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्यों की जांच कर उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे :-
(अ) खोदे गये नलकूप की दूसरे नलकूपों से दूरी ।
(ब) नलकूप की गोलाई ।
(स) नलकूप की गहराई ।
(द) गोलाई,गहराई एवं केसिंग पाईप के आधार पर खोदे गये नलकूप की अनुमानित लागत ।

IV. समिति द्वारा यह संतुष्टि की जाना आवश्यक होगी कि नलकूप पर्याप्त गहराई तक खोदा गया है व उसके बावजूद उसमें पर्याप्त पानी नहीं निकला है ।

V. यदि दूसरे नलकूप से मापदण्ड से कम दूरी पाई जाने तो प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा ।

VI. यदि समिति संतुष्ट होती है कि नलकूप निर्धारित मापदण्ड के अनुसार खोदा गया है तथा उसमें पर्याप्त पानी नहीं निकला है तो उसको असफल घोषित कर प्रकरण उप संचालक कृषि को अनुदान प्रदाय करने के लिये प्रस्तुत किया जावेगा ।

VII. असफल नलकूप पर उसकी वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15,000/– का अनुदान देय होगा ।

VIII. इस प्रकार के नलकूपों के प्रकरण निपटाने की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी कृषि की होगी जो समिति के अन्य सदस्यों को एकत्रित कर स्थल निरीक्षण करवायेंगे तथा अन्य प्रकिया पूर्ण करवाकर प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु उप संचालक कृषि को भेजेंगे ।

IX. असफल नलकूप के अन्तर्गत यील्ड टेस्टिंग किया जाना आवश्यक नहीं है,अतः नलकूप परीक्षण हेतु कृषक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

X. नलकूप को असफल घोषित करने बाबद समिति द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप भी संलग्न है ।

XI. जो कृषक नलकूप का यील्ड टेस्टिंग कराना चाहते हैं उनसे नियमानुसार अग्रिम राशि जमा कराई जाकर कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय/कृषि उदयोग विकास निगम की मशीनों से यील्ड टेस्टिंग कराया जावेगा ।

13 विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर नलकूप चालू करने की जिम्मेदारी कृषक की होगी । जल उपलब्धता संबंधी समिति द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र विद्युत कनेक्शन हेतु मान्य किया जावेगा ।

14 कृषकों द्वारा अपनी पंसद का आई.एस.आई.मार्क वाला पंप,कृषि उद्योग विकास निगम,अथवा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ,अथवा निजी विक्रेताओं से क्रय किया जा सकेगा ।

15 कृषक अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था अथवा ठेकेदारों से नलकूप खनन करा सकेंगे अर्थात उप संचालक कृषि द्वारा किसी भी ठेकेदार को नलकूप खनन हेतु आदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी,यह कार्य कृषक को स्वयं कराना होगा ।

16 नलकूप खनन की दरों का निर्धारण उप संचालक कृषि के प्रस्ताव पर जिला योजना समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में किया जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एस.एन.शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,कृषि विभाग

क्रमांक/डी/17/9/94/14-3 भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग,भोपाल ।
2. सचिव,म.प्र.शासन,आदिम जाति कल्याण विभाग,भोपाल ।
3. सचिव,म.प्र.शासन,जल संसाधन विभाग,भोपाल ।
4. सचिव,म.प्र.शासन,ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल ।
5. समस्त संभागायुक्त,म.प्र. ।
6. समस्त जिलाध्यक्ष,मध्यप्रदेश ।
7. संचालक,कृषि अभियांत्रिकी,म.प्र.भोपाल ।
8. समस्त आंचलिक प्रबंधक,कृषि जलवायु क्षेत्र परियोजना,मध्यप्रदेश ।
9. समस्त उप संचालक कृषि,मध्यप्रदेश ।
10. उप प्रबंधक,राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,भोपाल ।
11. प्रबंध संचालक,राज्य सहकारी बैंक,भोपाल ।
12. प्रबंध संचालक,भूमि विकास बैंक भोपाल ।
13. प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल ।
14. प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ,भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

31.12.2001

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,कृषि विभाग

मंत्रालय

वल्लभ – भवन, भोपाल

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक डी-17/9/94/14-3 भोपाल, दिनांक 5.7.03

प्रति,

संचालक कृषि,
म. प्र. भोपाल

विषय:– कृषकों द्वारा खोदे गये नलकूपों पर अनुदान योजना के संबंध में ।
संबंध में ।

संदर्भ:– विभागीय आदेश क्र.डी–17/9/94/14–3 दि. 31.12.01

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के आदेश दि. 31.12.01 द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत अशासकीय एजेंसी ठेकेदारों द्वारा खोदे गये नलकूपों पर अनुदान की योजना के संबंध में जारी किये गये आदेश में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को निम्न दरों पर अनुदान देय होगा:–

अ–	नलकूप खनन, विकास तथा निर्माण के लिये ।	लागत का 75% अथवा रूपये 15,000/- में जो भी कम हो
ब	सबमर्सिबल पंप एवं सहायक सामग्री के लिये	कीमत का 75% या रूपये 9,000/– में जो भी कम हो

यह योजना केवल ऐसे क्षेत्रों में ली जाना चाहिये जहां भू-जल की पर्याप्त उपलब्धता हो । ऐसा क्षेत्र जो "डार्क" व "ग्रे" घोषित है, उनमें नलकूप खनन का कार्य नहीं किया जाये । शेष शर्तें पूर्ववत रहेगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विजय पंडित)
अवर सचिव
म. प्र. शासन, कृषि वि0

एक बं

मध्यप्रदेश शासन,
कृषि विभाग

क्रमांक–डी 17/9/94/14–3

भोपाल, दिनांक– 19.12.2002

प्रति,

संचालक कृषि,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय– कृषकों द्वारा खोदे गये नलकूपों पर अनुदान की योजना ।
संदर्भ– विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 31 दिसम्बर, 2001.

विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा सिंचाई नलकूप खनन पर अनुदान योजना के कियान्वयन के पुनरीक्षित निदेश जारी किये गये हैं । इस आदेश के सरल क्रमांक 5 में यह शर्त है कि रेजिस्टिविटी सर्वे जल संसाधन विभाग से या जल संसाधन विभाग में पंजीकृत निजी संस्थाओं से कृषक द्वारा स्वयं कराया जायेगा । इस शर्त में अब संशोधन करते हुए भविष्य के लिये यह व्यवस्था की जाती है कि रेजिस्टिविटी सर्वे जल संसाधन विभाग, सहायक भूजल विद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अथवा अन्य शासकीय संस्था से या म.प्र.शासन के संबंधित विभाग में पंजीकृत निजी संस्थाओं से कराया जा सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

19.12.2002

(एस.एन.शर्मा)
उप सचिव,
म.प्र.शासन,कृषि विभाग

पृ.क्रमांक–डी 17/9/94/14–3

भोपाल, दिनांक– 12.2002

प्रतिलिपि–

1. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र., भोपाल ।
2. आंचलिक प्रबंधक........................(समस्त) (म.प्र.)
3. उप संचालक कृषि ....(समस्त)

19.12.2002

उप सचिव,
म.प्र.शासन,कृषि विभाग

JDA (M.I.)

20/1

Urgent circulate to all M.I.

24.12.02

1-(G) 1968
23/12/02

116
26.12.02

मध्य प्रदेश शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय

विषयः— नलकूपों की यील्ड टेस्टिंग के संबंध में दिनांक 6.12.06 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ।

0000

दिनांक 6.12.06 को सचिव कृषि की अध्यक्षता में नलकूपों की यील्ड टेस्टिंग की व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित की गई ।संचालक कृषि,संचालक कृषि अभियांत्रिकी के प्रतिनिधि एवं प्रबंध संचालक,म0प्र0राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए ।वर्तमान व्यवस्था में अनुभव की जा रही कठिनाईयों व कृषकों को हो रही असुविधा को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा हुई ।

बैठक में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि :—

1. यील्ड टेस्ट नलकुप खनन के पूर्ण होने पर ही किया जायेगा।
2. कृषकों द्वारा नलकूप खनन करने के उपरान्त कृषक द्वारा लगाये गये पंप से यील्ड टेस्ट का कार्य अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम अथवा कृषि अभियांत्रिकी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया जायेगा ;
3. इनके प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उप संचालक कृषि द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जायेगा ;
4. प्रत्येक विकास खण्ड मे संचालक कृषि द्वारा इस हेतु V – Notch उपलब्ध कराये जायेगें ।

हस्ता/—
(एस.के.उपाध्याय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,

संचालनालय कृषि,
म0प्र0भोपाल

पृ0क./ल.सिं./2/न.कू./यी.टे./06/563 भोपाल, दिनांक 13.12.06

प्रतिलिपिः—

1. सचिव,म0प्र0शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र.डी—17/8/06/14—3 दिनांक 12.12.06 के संबंध में सूचनार्थ ।
2. प्रबंध संचालक,म0प्र0राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, पंचानन भवन, भोपाल।
3. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, गौतम नगर भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला.....(समस्त)
5. आंचलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना..... (समस्त)
6. उप संचालक कृषि जिला.....(समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नलकूपों की यील्ड टेस्ट की कार्यवाही निर्देशानुसार करें । प्रत्येक विकास खण्ड को वी. नोच उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संचालक कृषि
म0प्र0भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी–17/14/09/14–3 भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर, 2009

प्रति,

संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म0प्र0 भोपाल

विषयः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नलकूप खनन योजना के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आदेश क्रमांक–डी–17/3/08/14–3 दिनांक 21 अप्रैल 2008 द्वारा कृषि विभाग के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों के लिय नलकूप खनन योजना के संबंध में जारी किये गये आदेश में संशोधन करते हुये सामान्य वर्ग के कृषको को निम्न दरों पर अनुदान देय होगाः

(अ) नलकूप खनन हेतु विकास के निर्माण के लिये– सामान्य वर्ग के समस्त (लघु/सीमांत/दीर्घ) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15000/– में जो भी कम हो।

(ब) सबमर्सिबल पंप एवं सहायक सामग्री के लिये– सामान्य वर्ग के समस्त (लघु/सीमांत/दीर्घ) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 9000/– में जो भी कम हो।

योजना के कियान्वयन की शेष शर्ते राज्य की पूर्व से प्रचलित नलकूप खनन योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार ही रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.एच.बी.एस.भदौरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.क्रमांक डी–17/10/09/14–3 भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर, 2009
प्रतिलिपि,

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन/मत्स्य पालन/सहकारिता/खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
5. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/मत्स्य पालन/पशुचिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. संचालक, अनुसंधान सेवायें, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
7. संचालक, राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, सह नोडल एजेन्सी, बरखेडी कला, भोपाल
8. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल कोषालय, भोपाल

उपसचिव 9/9/09
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल.
कमांक:ल.सिं./2/रा.कृ.वि.यो./09/ 523 भोपाल दिनांक 15/9/09.
प्रतिलिपि :–

1. अपर संचालक कृषि,(आर. के.व्ही.वाय.) सेल संचालनालय कि.क. तथा कृ. विकास भोपाल
2. कलेक्टर जिला.....समस्त ।
3. संयुक्त संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग..... .समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. उपसंचालक कृषि जिला.....(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संचालक कृषि
म0प्र0 भोपाल.